भाग-2

विकलांग जन अधिनियम - 1995 (Ist Act of 1996) एवं इसके अन्तर्गत की गई कार्यवाही

विकलांग जन अधिनियम - एक सूक्ष्म परिचय

विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के समग्र कल्याण हेतु भारत सरकार ने "विकलांग-जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (Ist Act of 1996) बनाया जो 7 फरवरी, 1996 से जम्मू-काश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय एवं 74 धारायें हैं। अध्यायवार अधिनियम की विषयवस्तु का सूक्ष्म विवरण निम्नवत है :-

अध्याय-1 प्रस्तावना :- विभिन्न परिभाषाओं एवं अधिनियम में प्रयुक्त शब्दावली का उल्लेख है। विकलांगता का अर्थ नेत्रहीन, अल्पदृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, वाक एवं श्रवण बाधित, चलन अपंगता, मानसिक मंदता तथा मानसिक रोग है। किसी सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि विकलांग व्यकित की विकलांगता 40 प्रतिशत से कम नही है।

अध्याय-2 केन्द्रीय समन्वय समिति तथा कार्यकारिणी समिति :- 1. केन्द्रीय सरकार समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन करेगी जिसमें कुल 39 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में 24 सदस्य सरकारी तथा 15 सरकार द्वारा मनोनीत होंगे, जिसमें विकलांगों से सम्बधित गैर सरकारी संगठनों एवं संधो का प्रतिनिधित्व होगा। नामित सदस्यों में कम से कम एक महिला तथा एक व्यक्ति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से अवश्य शामिल होगा। सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। केन्द्रीय समन्वय समिति सरकार, सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों का पुनरीक्षण व समन्वय तथा एक राष्ट्रीय नीति का विकास करेगी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को नीति, कार्यक्रम विधान तथा परियोजनायें तैयार करने के लिए परामर्श भी देगी।

2. केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति केन्द्रीय समन्वय समिति के निर्णयों का कार्यान्वयन करेगी। समिति की 3 साल में एक बार बैठक अवश्य होगी। केन्द्रीय कार्यकारी समिति में 23 सदस्य होंगे। जिसमें विकलांगों से सम्बद्ध 5 व्यक्ति भी शामिल होंगे।

इसमें धारा 3 से 12 तक कुल 10 धारायें हैं।

अध्याय-3 राज्य समन्वय समिति तथा कार्यकारिणी समिति :- 1. केन्द्रीय समन्वय समिति के समान प्रत्येक राज्य 23 सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ये युक्त एक राज्य समन्वय समिति नियुक्त करेगा। सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

राज्य कार्यकारिणी समिति में 13 सरकारी तथा 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे जिसके कार्य केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के समान होंगे।

राज्य सरकार द्वारा मा0 समाज कल्याण मत्री की अध्यक्षता में- शासनादेश संख्या-1056/65-1-97-18(1)/ 96

विकलांग कल्याण अनुभाग-1, लखनऊ दिनांक-4 सितम्बर, 1997 के अंतर्गत "राज्य समन्वय समिति'8 तथा सचिव, विकलांक कल्याण की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या-1706/65-1-97-18(2)/96 विकलांग कल्याण अनुभाग-1, लखनऊ दिनांक-20 नवम्बर, 1997 के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन समिति का गठन किया जा चुका है।

इसमें धारा 13 से 24 तक कुल 12 धारायें हैं।

अध्याय-4 विकलांगताओं की शीघ्र पहचान व निवारण :- अपनी आर्थिक क्षमताओं और विकास की सीमा में उपयुक्त स्थानीय प्राधिकरण विकलांगताओं के तत्काल निवारण की दृष्टि से निम्न कार्य करेंगे :-

1- विकलांगताओं के कारणों से सम्बद्ध सर्वेक्षण जांच और अनुसंधान करना अथवा करवाना।

2- विकलांगताओं के निवारण के विभिन्न उपायों को प्रोत्साहित करना।

3- संभावित विकलांगता से सम्बन्धित मामलों में पहचान के प्रयोजन से एक वर्ष में एक बार सभी बच्चों की जांच करना।

4- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारी वर्ग को प्रशिक्षण के लिए सुविधायें प्रदान करना।

5- जागरूक अभियानों को प्रायोजित करना या कराना। विकलांगताओं की शीघ्र पहचान व निवारण के सम्बन्ध में धारा 25 में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

अध्याय-5 शिक्षा :- इसके अंतर्गत 18 वर्ष तक के विकलांगों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, परिवहन, सुविधा, सामान्य विद्यालयों में विकलांग छात्रों का एकीकरण, विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय, अंशकालिक व औपचारिक शिक्षा व मुक्त विद्यालय/विश्वविद्यालयों के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा विकलांग बच्चों को समान अवसर देने के उद्देश्य से सहायक यंत्रों के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के सम्बंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।

इस अध्याय में धारा 31 तक कुल 6 धारायें हैं।

अध्याय-6 रोजगार :- यह अध्याय विकलांगों के सेवायोजन से संबंधित है। इसके अंतर्गत विकलांगों के लिए पदों का चिन्हीकरण, चिन्हित पदों के सापेक्ष VH,HH तथा PH वर्ग के लिए 1-1 प्रतिशत का आरक्षण (समस्त राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं तथा गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में) प्रदान किये जाने सम्बंधी दिशा निर्देश हैं।

धारा 33 के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम-PH मूक बधिर-HH तथा दृष्टिबाधित-VH विकलांगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय संस्थाओं/नौकरियों में 1-1 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश जारी किया जा चुका है। धारा-34 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए विशष रोजगार कार्यालय स्थापित करने की अपेक्षा है जिसके अनुपालन में श्रम विभाग, उ0प्र0 द्वारा ऐसे विशेष रोजगार कार्यालय की स्थापना की जा चुकी है।

अध्याय-7 सकारात्मक कार्यवाही :- सरकार विकलांग व्यक्तियों को सहायक अंग तथा उपकरण प्रदान करेगी एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए आवास, व्यापार, विशेष मनोरंजन केन्द्र, विशेष स्कूल, अनुसंधान केन्द्रों तथा विकलांग व्यक्तियों को फैक्टरियों हेतु रियायती दरों पर आवंटित किये जाने के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी।

इसमें 42 से 43 तक कुल 2 धारायें हैं।

अध्याय-8 अभेदभाव :- सरकारी परिवहन अपनी सुविधाओं, सुख साधनों को अनुकूल बनाने के लिए विशेष उपाय करेगी जिससे के वह ह्वील चेयर प्रयोग करने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान पहुँच वाले बन सके।

सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण भी अपनी क्षमता के अंतर्गत चौराहों पर लाल बत्ती संकेत के साथ-साथ श्रवण संकेत, ह्वील चेयर लाने वाले व्यक्तियों के लिए सड़क पार निर्माण तथा नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए जेबरा क्रास पर उत्कीर्ण व्यवस्था करेगी।

कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान विकलांग होने पर उनकी सेवायं समाप्त नहीं करेगा। कोई नियोक्ता विकलांगता के आधार पर किसी कर्मचारी को पदोन्नति भी मना नहीं करेगा। वरन् कार्य की कोटि के आधार पर इस तरह के भेदभाव को रोकेगा।

इस अध्याय में 44 से 47 तक कुल 4 धारायें हैं।

अध्याय - 9 अनुसंधान व मानव शक्ति विकास :- सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण विकलांगता निवारण, विकलांगों के पुनर्वास, सहायक यंत्रों के निर्माण, विकलांगों के लिए रोजगारों की पहचान तथा फैक्ट्रियों एवं कार्यालयों में विकलागों के अनुकूल संरचना, सुविधाएं तथा विकास को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी।

अध्याय -10 विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का पंजीयन :- इस अधिनियम के पारित होने के 6 माह के अंदर विकलांग व्यक्तियों हेतु कार्यरत संस्थायें अथवा प्रतिष्ठान चलाने वाले व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान के पंजीकरण प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे। यह प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा तथा उस अवधि तक प्रभावी रहेगा जितनी अवधि तक राज्य सरकार ने उसे प्रदान किया है। सरकारी संस्थाओं को ऐसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

धारा 50 के अंतर्गत निदेशक, विकलांग कल्याण, उ0प्र0 को स्वैच्छिक संस्थाओं के पंजीयन हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। तथा धारा 51 से 55 के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के पंजीयन हेतु पंजीयन नियमावली बन गयी है।

इस अध्याय में धारा 50 से 55 तक कुल 6 धारायें हैं।

अध्याय-11 गम्भीर विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिये संस्थायें :- 80 प्रतिशत अथवा अधिक विकलांगता वाले गंभीर विकलांगता ग्रस्त व्यक्ति माने जाते हैं। सरकार उनके लिये संस्थाओं की स्थापना व उनका रख-रखाव करेगीं। जहाँ कहीं सरकारी मानदण्ड के अनुरूप निजी संस्थाओं संचालित हैं वहाँ ऐसी संस्थाओं को गम्भीर विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिये उपयुक्त संस्था के रूप में मान्यता दी जायेगी।

इस अध्याय में धारा संख्या 56 मात्र एक धारा है।

अध्याय-12 विकलांग व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त :- केन्द्र सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विकलांग व्यक्तियों हेतु "मुख्य आयुक्त" तथा राज्य सरकार राज्य में विकलागों के लिये "आयुक्त" नियुक्त करेगी। मुख्य आयुक्त विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराये गये धन के उपयोग को मानीटर करने में समन्वय आयुक्त का कार्य करेंगे तथा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तों को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत गवाहों को बुलाने, साक्ष्य प्राप्त करने हेतु हलफनामें लेने व उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये किसी न्यायालय के अधिकारी के समान शक्तियाँ प्राप्त होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-945/65-2-98-129-/99 विकलांग कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 18 सितम्बर, 1998 के अन्तर्गत आयुक्त कार्यालय की स्थापना कर दी गयी हैं। सचिव, विकलांग कल्याण, को आयुक्त नामित किया गया है।

इस अधिनियम में 57 से 65 तक कुल 9 धारायें हैं।

<u>अध्याय -13 सामाजिक सुरक्षा :-</u> इसके अन्तर्गत सभी विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वासन की अपेक्षा की गयी है जिसके लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान किया गया है। धारा 68 में ऐसे बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों जिनकी आयु 18 से 37 वर्ष के मध्य हो तथा जो विशेष सेवायोजन केन्द्रों में 2 वर्ष से अधिक की अवधि से पंजीकृत हों, को बेरोजगार भत्ता दिये जाने का प्राविधान है। रोजगार में लगे विकलांग व्यक्तियों के लिए बीमा योजना और यदि आवश्यकता हुयी तो बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों के लिये भी बीमा योजना लागू किये जाने की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

<u>अध्याय-14 विविध :-</u> इस अध्याय में यह व्यवस्था की गयी है कि जो भी व्यक्ति विकलांग व्यक्तियों के लिये निर्धारित लाभों को प्राप्त करने के लिये कपट या धोखाधड़ी का प्रयास करेगा उसे 2 वर्ष का कारावास या रू0 20,000/- जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।

सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए सभी प्रकार के नियम ओर विनियम बनाने का प्राधिकार होगा।

इसमें 69 से 74 तक कुल 6 धारायें हैं।

नोट : कृपया विवरण के लिये अधिनियम देखें।